been divided *de fecto* between India and Pakistan by the line of control and another part has been ceded to China.

India argues that the 1947 accession of the former princely state to India was legal, that ratification of the accession in 1954 by the constituent assembly fulfilled its commitment to a test of popular opinion and that Pakistan had failed to implement the basic provision of a complete withdrawal of forces.

Our position on the status of Kashmir remains that this should be settled by peaceful agreement between India and Pakistan, in accordance with their agreement in 1972 at Simla under which both countries "resolved to settle their differences through bilateral negotiations or by any other peaceful means mutually agreed between them". This agreement also looked forward to a "final settlement of Jammu and Kashmir".

I welcome the terms in which my hon. Friend raised the problem of the continuing violence in Kashmir. We share the widespread concern about this. We have consistently condemned those who use violence for political ends, and we support the Indian Government in their efforts to deal with the serious challenge from terrorist violence in Kashmir. At the same time, we continue to encourage the Indian Government to exercise the greatest restraint in dealing with the serious problems facing them. The Maintenance of law and order in the face of violent challenge from certain Kashmiri extremist groups is clearly difficult. Abuses have certainly occurred on both sides. I assure the House that, in our contacts with the Indian Government, we have made clear the importance that we attach to human rights being respected.

We have emphasised the importance of allowing independent investigations by human rights organisations, such as Amnesty International, and of being seen to bring to justice members of the security forces who may have misbehaved. The Indian Government have told us that allegations of abuses are thoroughly investigated, that they are concerned to bring to book those responsible for wrongdoing and that action has already been taken against a number of security force personnel.

I assure the House that we will continue to watch the situation in Kashmir closely and to encourage India and Pakistan to find a peaceful solution to this dispute. We remain ready to help, if both sides would like us to do so. We hope that the process of confidence-building between India and Pakistan will continue and that this will help to create the right conditions to bring an end to the violence and lead to a lasting settlement of a dispute which threatens political stability in India and Pakistan and has blighted the lives of many in the sub-continent.

दिल्ली और चंडीगढ़ में विदेशी लोग

496. **श्री रणजीत सिंह**

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में विदेशी लोग अवैध रूप से प्रवेश कर रहे हैं और रह रहे हैं ;

(ख) इनकी संख्या कितनी है और इन शहरों में वे कब से रह रहे हैं ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इन्हें अपने-अपने देशों में भेजने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) अब तक कितने व्यक्तियों को उनके देशों में वापस भेजा जा चुका है ;

(ङ) क्या सरकार इन लोगों को अपने-अपने देशों में वापस भेजने के लिए

कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है ; और

(च) यदि हां, तो कब तक ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) से (च) उपलब्ध सूचना के अनुसार, चण्डीगढ़ में अवैध रूप से कोई विदेशी नागरिक नहीं रह रहा है । फिर भी बताया गया है कि कुछ विदेशी नागरिक, जिनमें अधिकांशत: पाकिस्तानी तथा बंगलादेशी नागरिक हैं, अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे हैं । उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 1991 तक दिल्ली में अवध रूप से 157 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे थे । जहां तक बंगलादेशी नागरिकों का संबंध है, किसी प्रकार के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि वे भारत में चोरी-छुपे प्रवेश करते हैं तथा स्थानीय जनता के साथ मिल जाते हैं । जब कभी भी किसी विदेशी नागरिक का निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरने के बारे में पता लगता है, विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा उन पर कानूनी कार्रवाई करने अथवा उसको स्वदेश लौटाने की कार्रवाई की जाती है, उनको इस प्रकार की कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदत्त की गई है ।

कश्मीर प्रवासियों का ज्ञापन

497. **श्री राम जेठमलानी :**

डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और कश्मीर प्रवासियों के प्रतिनिधिमंडल ने हाल में अपनी मांगों और उन्हें पेश आ रही असुविधाओं के सम्बन्ध में सरकार को एक ज्ञापन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त ज्ञापन में लिखित उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कश्मीर के प्रवासियों ने यह भी अनुरोध किया है कि कश्मीर में ही किसी एक ही स्थान पर उनके जीवन-ज्ञापन सम्बन्धी सुविधाएं मुहैया कराकर रहने की व्यवस्था कर दी जाये ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्य योजना बनाकर कश्मीरी प्रवासियों को कश्मीर में ही रहने की व्यवस्था करेगी ;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) कश्मीर के प्रवासी विभिन्न संगठनों के माध्यम से अपनी मांगें भेजते रहे हैं ।

(ख) प्रवासियों की अधिकांश मांगें उनके पुनर्वास और राहत सहायता बढ़ाने से संबंधित है ।

(ग) से (च) कुछ प्रवासियों ने पर्याप्त सुरक्षा और जीवन यापन संबंधी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ घाटी में बसाने का सुझाव दिया है । सरकार की नीति यह है कि घाटी में सामान्य स्थिति बहाल होते ही जल्दी से जल्दी उन्हें वहां वापस भेजा जाए और इसके लिए सरकार सभी संभव प्रयास कर रही है ।

Grants-in-aid to Voluntary Organisations for Communal Harmony

498. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the details of grants-in-aid to voluntary organisations provided for communal harmony during the last three years and the current year, organisation-wise; and